बेनी थॉमस

बनाम

खाद्य निरीक्षक, कोच्चि एवं अन्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 998)

7 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954। 16(1) (अ)(i) आर/डब्ल्यू एस। 7(1) और एस। 2(आई.ए.) (एम)/ खाद्य मिलावट की रोकथाम नियम, 1955-आर। 5 आर/डब्ल्यू परिशिष्ट बी, वस्तु ए. 07.08 और आर। 50, 17 और 18-खाद्य नमूना- प्रभावी खरीद के बाद खाद्य निरीक्षक द्वारा एकत्र किया गया-विश्लेषण करने पर नमूना मिलावटी पाया गया -अभियोजन की शुरुआत-निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः मामले के तथ्यों में, अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि नमूना मिलावटी था-आरआर 17 और 18 का कोई उल्लंघन नहीं था।-सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा।

दुकान का निरीक्षण करते हुए खाद्य निरीक्षक (पीडब्लू1) द्वारा बिक्री के लिए रखी गई 4 शर्बत की बोतल में से एक बोतल खरीदी गई जिसके भुगतान के लिए वाउचर प्रदर्श पी.4 था विश्लेष्ण रिपोर्ट के नमूना नियमों

के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था और इसलिए, मिलावटी था। अपीलार्थी-अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया। उसे धारा 16(1)(ए)(i) सपठित धारा 7(1) और धारा 2(आईए)(एम) के साथखाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'अधिनियम') और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट बी, आइटम ए.07.08 और नियम 50 के साथ पठित नियम 5 के तहत भी (संक्षेप में 'नियम') के तहत दोषी पाया गया। अपीलीय अदालत के साथ-साथ पुनरीक्षण अदालत ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय का निष्कर्ष:

1. अभियोजन पक्ष स्थापित करने में सक्षम रहा है कि पी.डब्ल्यू. 1 द्वारा अभियुक्त से खरीदा गया शर्बत मिलावटी था। स्वीकृति है कि खाद्य निरीक्षक ने खरीद करने के बाद रसीद दिया था। उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि सामान बिक्री के लिए रखा गया था। जब आरोपी से धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि उसने शर्बत बेचा था। इसके अलावा पी. डब्ल्यू.1 को शर्बत की बिक्री पी.4 वाउचर द्वारा सिद्ध की गई है जो आरोपी द्वारा पी.डब्ल्यू.1 से खरीद और उसकी लागत की स्वीकृति के लिए जारी किया गया वाउचर है। उन्होंने एक्स पी3 फॉर्म-6 नोटिस, भी अभियुक्त को दिया था जिसकी प्राप्ति उसके

द्वारा प्रदर्श पी.3 (ए) पृष्ठांकन और हस्ताक्षर स्वीकार की गई है। [पैरा 7 और 8] [74-ई, एफ, जी, एच; 75-ए एंड एफ]

2. पी-डब्लू-1 कि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की दुकान से नमूना लिए जाने के अगले दिन सार्वजनिक विश्लेषक को नमूना सौंपा गया था। पीडब्लू-1 ने यह भी कहा कि नमूने के अन्य दो हिस्सों के साथ फॉर्म नंबर VII ज्ञापन और नमूना बोतलों को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील की नमूना छाप पी-डब्लू-1 द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सौंप दी गई थी और इसकी जानकारी पीडब्लू-2 को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पीडब्लू-2 को दी गई थी। पीडब्लू-2 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसे फॉर्म VII के साथ नमूने के दो हिस्से और नमूने को अलग सीलबंद कवर में सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील की नमूना छाप प्राप्त हुई थी।इसलिए, नियमों के नियम 17 और 18 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। [पैरा 10] [76-जी, एच; 77-ए और बी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 2008 का सं. 998

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम द्वारा आपराधिक रि.पि.2004 का सं. 1917 में पार्टी अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.5.2006 से।

अपीलार्थी के लिए के. राजीव।

उत्तरदाताओं के लिए आर. सतीश।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत जे., द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दे दी गई।

2. इस अपील में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है, जो धारा 16(1)(ए)(i) सपठित धारा 7(1) और धारा 2(आईए) (एम) के साथखाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'अधिनियम') और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट बी, आइटम ए.07.08 और नियम 50 के साथ पठित नियम 5 के तहत भी (संक्षेप में 'नियम') के तहत दंडनीय अपराध के लिए पारित दोषसिद्धि के आदेश कि शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी। अपीलकर्ता को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोच्चि द्वारा एक वर्ष के लिए साधारण कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना के साथ दर्ज की गई डिफ़ॉल्ट शर्त भरने की सजा सुनाई गई थी। विद्वान-4 अपरसत्र न्यायाधीश, एर्नाकुलम ने अपील में सजा को संशोधित किया और इसे डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ छह महीने के साधारण कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने में बदल दिया।

3. इस परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि: 22.5.2000 को लगभग शाम 4.00 बजे, खाद्य निरीक्षक, पीडब्लू.1 ने "बीजॉय फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स" नाम से अपीलकर्ता की दुकान का निरीक्षण किया। उन्हें

700 एमएल क्षमता की शरबत (सिंथेटिक सिरप) की चार बोतलें मिलींजो बिक्री के लिए रखी गई थी। उन्होंने 40/- रुपये का भुगतान करके सिंथेटिक सिरप की एक बोतल खरीदी, भुगतान के लिए वाउचर प्रदर्श पी.4 था। उन्होंने प्रक्रिया के अनुसार इसका नमूना लिया। विश्लेषण के बाद, उन्होंने प्रदर्श पी.12 रिपोर्ट प्राप्त की, जिससे पता चला कि नमूना नियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था और इसलिए, मिलावटी था। तदनुसार, उन्होंने अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की। चूंकि अभियुक्त द्वारा अपराध से इन्कार कर दिया गया, इसलिए विचारण जारी रखा गया।

4. चार गवाहों की जांच की गई और अभियोजन पक्ष की ओर से 21 दस्तावेजों को चिह्नित किया गया और बचाव पक्ष की ओर से तीन दस्तावेजों को चिह्नित किया गया। सबूतों की विवेचना के बाद, अपीलकर्ता को दोषी पाये जाने पर दोषी घोषित किया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता की अपील के परिणामस्वरूप केवल सजा को कम किया गया। पुनरीक्षण याचिका से कोई राहत नहीं मिली।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क उठाया गया कि खाद्य निरीक्षक (पीडब्लू-1) द्वारा खरीदी गई वस्तुएं बिक्री के लिए नहीं रखी गई थीं और इस प्रकार वे खाद्य वस्तुएं नहीं थीं। आगे यह भी कहा गया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई कि क्या ये वस्तुएं बिक्री के लिए रखी गई थीं। हाई कोर्ट ने इस रुख को स्वीकार नहीं

किया. पीडब्लू-1 के साक्ष्य का हवाला देते हुए, उनके द्वारा यह नोट किया गया कि पीडब्लू-1 ने खुद को फूड निरीक्षक के रूप में स्वयं को पेश करते हुए 700 एमएल 'सिंथेटिक सिरप (सरबथ)' जो बिक्री के लिए रखा गया था उसे खरीदने की इच्छा जताई थी। उन्होंने 40 रुपए देकर इसे खरीदा था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सामान बिक्री के लिए नहीं रखा गया था तो इसे खाद्य निरीक्षक को बेचने का सवाल ही नहीं उठता इसमें पाया गया कि खरीदी गई वस्तुएं मानव उपभोग के लिए थीं और बिक्री के लिए रखी गई थीं और विश्लेषण करने पर वे आवश्यकता के अनुरूप नहीं थीं। यह माना गया कि जैसा दावा किया गया उसके अनुरूप नियम 17 और 18 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। यह देखते हुए कि न्यूनतम सजा दी गई है, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि नमूनों की कोई जांच नहीं की गई कि क्या वस्तुएं बिक्री के लिए रखी गई थीं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वस्तुएं बिक्री के लिए नहीं थीं और इसलिए, उक्त नियम लागू नहीं होते।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी -राज्य के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। माना कि खाद्य निरीक्षक ने खरीदने के बाद नमूना लिया था और रसीद भी ली थी। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि वस्तुएं बिक्री के लिए थीं।

8. शिकायतकर्ता, खाद्य निरीक्षक, कोचीन सर्कल ने पी.डब्ल्यू.1 के रूप में साक्ष्य दी है। उन्होंने आरोपी की दुकान से इस मामले में शामिल खाद्य सामग्री शरबत और उसके नमूने लेने में उनके द्वारा की गई विभिन्न औपचारिकताओं के बारे में भी बात की है। यह तथ्य कि शरबत उससे खरीदा गया था, आरोपी द्वारा विवादित नहीं है। जब उनसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 कीधारा 313 (संक्षेप में सी.आर.पी.सी.) के तहत पूछताछ की गई') उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने शरबत को पी.डब्ल्यू.1 को बेच दिया था। इसके अलावा पी.डब्ल्यू.1को शरबत की बिक्री प्रदर्श 4 द्वारा सिद्ध की गई है जो आरोपी द्वारा पी.डब्ल्यू.1 से खरीद और उसकी लागत की स्वीकृति के लिए जारी किया गया वाउचर है। उन्होंने प्रदर्श पी. 4 फॉर्म-6 नोटिस, भी अभियुक्त को दिया था जिसकी प्राप्ति उसके द्वारा प्रदर्श पी-3(ए) पृष्ठांकन और हस्ताक्षर स्वीकार की गई है। पीडब्लू-1 के अनुसार, खाद्य निरीक्षक ने कहा है कि उसने आरोपी को उससे शरबत खरीदने के इरादे का खुलासा किया था, वही आरोपी का तर्क यह है कि उससे खरीदा गया शरबत बिक्री के लिए नहीं था। ऐसा पी.डब्लयू.1 के अनुसार, खरीदे गए सरबथ का नमूना उसके द्वारा नियमों के अनुसार मौके पर ही लिया गया था, और उसके द्वारा तैयार किए गए नमूने का एक हिस्सा विश्लेषण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक के पास भेजा गया था और नमूने के शेष दो हिस्से स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को भेज दिए गए थे और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के माध्यम से सार्वजनिक विश्लेषक से नमूने के

विश्लेषण का परिणाम प्राप्त किया। प्रदर्श पी.12 सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार नियमों के तहत सरबथ के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नमूना नहीं है और इसलिए नमूना मिलावटी है। अपने खिलाफ अभियोजन शुरू करने की सूचना मिलने पर, आरोपी ने निचली अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पास रखे गए नमूने के एक हिस्से को विश्लेषण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजने की मांग की। इसलिए, नमूने का एक भाग स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण से मंगवाया गया और केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया। प्रदर्श पी.17 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट है, जिसके अनुसार यह नमूना नियमों के तहत शरबत के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है और इसलिए मिलावटी है। इस प्रकार अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा कि पीडब्लू1 द्वारा आरोपी से खरीदा गया शरबत मिलावटी है।

9. अपीलकर्ता/अभियुक्त की एक दलील यह है कि खाद्य निरीक्षक ने नियमों के नियम 17 और 18 में निहित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसलिए वह बरी होने का पात्र है। नियम 17 एवं 18 इस प्रकार हैं:

> "17. नमूनों के कंटेनरों को भेजने का तरीका:- नमूनों के कंटेनरों को निम्नलिखित तरीके से भेजा जाएगा, अर्थात्:

ए) विश्लेषण के लिए नमूने के एक हिस्से का सीलबंद कंटेनर और फॉर्म VII में एक ज्ञापन एक सीलबंद पैकेट में सार्वजनिक विश्लेषक को तुरंत भेजा जाएगा, लेकिन किसी भी उपयुक्त माध्यम से अगले कार्य दिवस के बाद नहीं भेजा जाएगा।

बी) नमूने के शेष दो भागों के सीलबंद कंटेनर और फॉर्म VII में ज्ञापन की दो प्रतियां एक सीलबंद पैकेट में स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को तुरंत भेजी जाएंगी, लेकिन अगले कार्य दिवस के बाद किसी भी उपयुक्त माध्यम से नहीं।

(सी) नमूने के शेष दो भागों में से एक का सीलबंद कंटेनर और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पास रखे गए फॉर्म VII में ज्ञापन की एक प्रति 7 दिनों की अवधि के भीतर सार्वजनिक विश्लेषक को मांग पर भेजी जाएगी। उसे किसी भी उपयुक्त माध्यम से यह करने के लिए।

बशर्ते कि एगमार्क सील वाले कंटेनर से लिए गए भोजन के नमूने के मामले में, फॉर्म VII में ज्ञापन में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी शामिल होगी, अर्थात्:

ए) प्रथम श्रेणी

बी) एगमार्क लेबल नंबर/बैच नंबर।

ग) पैकिंग स्टेशन का नाम

18. ज्ञापन और मुहर की छाप अलग से भेजी जाएगी: ज्ञापन की एक प्रति और पैकेट को सील करने के लिए उपयोग की गई मुहर की नमूना छाप, एक सीलबंद पैकेट में अलग से सार्वजनिक विश्लेषक को किसी भी उपयुक्त माध्यम से तुरंत भेजी जाएगी, लेकिन अगले कार्य दिवस के बाद नहीं।"

10. पीडब्लू-1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक समय नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को 23.5.2000 यानी अभियुक्त की दुकान से नमूना लेने के अगले दिन सौंप दिया गया था। पीडब्लू-1 ने यह भी कहा कि नमूने के अन्य दो हिस्सों के साथ फॉर्म नंबर VII ज्ञापन और नमूना बोतलों को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील की नमूना छाप पीडब्लू-1 द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सौंप दी गई थी और इसकी जानकारी पीडब्लू-2 को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पीडब्लू-2 को दी गई थी। पीडब्लू-2 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसे फॉर्म VII के साथ नमूने के दो हिस्से और नमूने को अलग सीलबंद कवर में सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील की नमूना छाप प्राप्त हुई थी। इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही माना है, नियमों के नियम 17 और 18 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

11. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जांच में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने संबंधित वस्तुएं पीडब्लू-1 को बेच दी थीं। जैसा कि

ऊपर उल्लेख किया गया है, इस दलील में कोई दम नहीं है कि ये वस्तुएं बिक्री के लिए नहीं थीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दी गई सज़ा न्यूनतम है और इसलिए, यह दलील कि सज़ा कठोर है, इसमें कोई बल नहीं है।

12. किसी भी दर्ष्टिकोण से देखें तो, अपील निरर्थक है, खारिज करने योग्य है, जिसका हम निर्देश देते हैं।

के.के.टी. अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोहनलाल शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।